

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी(राजस्व), संगरिया  
पीठासीन अधिकारी :- रमेश देव (आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. /2023  
वाद अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.



तरणदीप सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

1. जसपाल कौर पत्नी स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
2. जसकरण सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
3. सर्वजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
4. सुरेन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
5. बलजिन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
6. सन्दीप कौर पुत्री श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
7. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

उपस्थिति :-

वादीगण की ओर से :- श्री महावीर बेरड़, एडवोकेट

प्रतिवादी की ओर से :- श्री कुलदीप मुण्ड, एडवोकेट

निर्णय दिनांक :-

वादी तरणदीप सिंह ने प्रतिवादीगण जसपाल कौर वगैरा के विरुद्ध यह राजस्व वाद बाबत घोषणा एवं खाता विभाजन का इस न्यायालय में पेश किया कि यह कि प्रतिवादीया सं. 1 वादी की दादी, प्रतिवादी सं. 2 का पिता, प्रतिवादी सं. 3 वादी का चाचा, प्रतिवादीया सं. 4 व 5 वादी की बुआ, प्रतिवादीया सं. 6 वादी की बहिन है जो कि एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 की दादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की

लगातार --2

माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि इसी प्रकार वादी के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 8.855 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। उक्त चक के खातों की जमाबन्दी की प्रमाणित प्रतिलिपियां सलंग्न वाद पत्र है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी की संयुक्त खाता की संयुक्त की कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है परन्तु उक्त समस्त कृषि भूमि वादी के नाम से राजस्व रिकार्ड में बंटवारानुसार दर्ज नहीं होने के कारण वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य विवाद उत्पन्न हो गया। इस पर रिश्तेदारों आदि ने जरिये पंचायत वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 के मध्य राजीनामा व बंटवारा करवा दिया जिसमें प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 6 ने उक्त कृषि भूमि में अपने समस्त हक व हिस्सा का परित्याग मौखिक रूप से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 के पक्ष में बंटवारानुसार कर दिया इसलिये प्रतिवादी सं. 1, 4 ता 6 का अब उक्त कृषि भूमि में कोई हित व स्वत्व निहित नहीं रहा हैं। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 का कब्जाकाशत बाबत् अन्य किसी भी सहकाशतकारान के साथ कोई विवाद नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 व 3 को बंटवारा में प्राप्त कृषि भूमि का वर्णन निम्न प्रकार से है :-

(क) वादी तरणदीप सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 जसकरण सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि. ब. कृषि भूमि :-

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/158	43	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/157	39	1ता4/0.253 है.प्र., 6/1/0.228है., 6/2/0.025है., 7,8,9,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है.,





-3-

16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है.,

17,18,19/0.253 है.प्र.,

25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है.,

150/158 43

1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है.,

2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है.,

9ता12,19ता22/0.253 है.प्र.

कुल 6.831 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

(ख) प्रतिवादी सं. 3 सर्वजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/156	31	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
149/156	32	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
149/156	32	1/2/0.240 है., 2/0.253 है., 25/5/0.013 है.
150/156	33	10,11,20,21/0.253 है.प्र.

कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने का अधिकारी एवं दावेदार है। यह कि वाद पत्र की चरण सं. 3 में वर्णित कृषि भूमि जो कि वादी एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खाता की संयुक्त कृषि भूमि हैं जिसमें वादी का हित एवं स्वत्व निहित है। वादी ने वाद पत्र की चरण सं. 4 के अनुसार वादी को खातेदार काशतकार होने की घोषणा करवा उक्तानुसार ही खाता विभाजन करवा रकमराज अलग करवाने हेतु कहा तो कुछ दिन तक तो प्रतिवादीगण टाल मटोल करते रहे, आखिर गत् सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार हो गये। बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर वाद पत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 ता 6

लगातार --4

द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये एवं प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। जो शामिल मिसल किया गया। वाद पत्र के समर्थन में वादी के द्वारा तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 एवं तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 की प्रतियां पेश की गईं जो प्रदर्श-1 व 2 है। साक्ष्य वादी में वादी का शपथ पत्र अ. धारा 18 नियम 4 व्य.प्र.सं. पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। साक्ष्य प्रतिवादीगण बन्द की गईं।

बहस उभयपक्ष सुनी गईं। बहस में वादी के अभिभाषक ने कथन किया कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 6 संयुक्त परिवार के सदस्य है तथा आपस में कोई विरोध नहीं है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा पेश किया गया जो कि बाद तस्दीक शामिल मिसल किया गया। प्रतिवादी सं. 4 ता 6 द्वारा अपने अधिवक्ता के माध्यम से सहमति के जवाब दावे प्रस्तुत किये गये, जो शामिल मिसल किये गये एवं प्रतिवादी सं. 7 का जवाब स्टेट पेश हुआ। वाद पत्र में घोषणा एवं खाता विभाजन का अनुतोष चाहा गया है। बहस में वकील वादी एवं वकील प्रतिवादीगण ने राजीनामा अनुसार वाद पत्र डिक्री किये जाने पर सहमति दी। वकील वादी ने वाद डिक्री किये जाने का निवेदन किया। जिसका वकील प्रतिवादीगण ने कोई विरोध नहीं किया।

वाद पत्र में वर्णित आराजी वादी एवं प्रतिवादी सं. 6 की दादी एवं प्रतिवादी सं. 2 ता 5 की माता प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि इसी प्रकार वादी के पिता एवं चाचा प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 8.855 है. कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 ता 3 द्वारा राजीनामा प्रस्तुत होने के कारण एवं प्रतिवादी सं. 4 ता 6 द्वारा सहमति के जवाब दावा पेश करने के कारण तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। वाद पत्र में वर्णित कृषि भूमि संयुक्त परिवार की संयुक्त कृषि भूमि है। वादी व प्रतिवादी सं. 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है। वाद पत्र का कोई विरोध हमारे समक्ष नहीं आया है। वाद पत्र मुताबिक राजीनामा अनुसार डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है। राजीनामा निर्णय का जुज रहेगा।



**--: क्रियात्मक आदेश :-**

अतः वाद वादीगण मुताबिक अनुतोष अनुसार डिक्री किया जाता है कि :-

- (क) वादी तरणदीप सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 जसकरण सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की ब.हि. ब. कृषि भूमि :-

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/158	43	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
149/157	39	1ता4/0.253 है.प्र., 6/1/0.228है., 6/2/0.025है., 7,8,9,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,18,19/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है., 150/158 43 1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9ता12,19ता22/0.253 है.प्र. कुल 6.831 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



- (ख) प्रतिवादी सं. 3 सर्वजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/156	31	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
149/156	32	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
149/156	32	1/2/0.240 है., 2/0.253 है., 25/5/0.013 है.

150/156 33

10,11,20,21/0.253 है.प्र.

कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 8.855 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को 6.831 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जावे एवं उपरोक्तानुसार वादी का खाता अलग से कायम किया जाता है।

नोट:- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादीगण हक आराजी बैंक रहन नही है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन किया जावें। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम किया दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22/03/2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।



(रमेश देव)

सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया



# डिक्री एवं मुकदमें इब्तदाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,  
संगरिया

पीठासीन अधिकारी:- रमेश देव(आर.ए.एस.)

प्रकरण सं. /2023

तरणदीप सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान  
तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)

- वादी

बनाम्

8. जसपाल कौर पत्नी स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
9. जसकरण सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
10. सर्वजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
11. सुरेन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
12. बलजिन्द्र कौर पुत्री स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
13. सन्दीप कौर पुत्री श्री जसकरण सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.)
14. तहसीलदार(राजस्व) संगरिया।

- प्रतिवादीगण

वाद पत्र अ. धारा 88, 53 आर.टी.ए.

दिनांक :- .....

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ रमेश देव(आर.ए.एस.) के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रोबरु हमारे बहाजरी श्री महावीर बेरड़ वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री कुलदीप मुण्ड वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुकम दिया जाता हैं व यह डिक्री दी जाती है कि:-

- (क) वादी तरणदीप सिंह पुत्र श्री जसकरण सिंह एवं प्रतिवादी सं. 1 जसकरण सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह समस्त जाति जटसिख निवासीगण जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाश्त की ब.हि. ब. कृषि भूमि :-

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
150/158	43	3/1/0.228 है., 3/2/0.025 है., 4/1/0.228 है., 4/2/0.025 है., 5/1/0.202 है., 5/2/0.026 है., 5/3/0.025 है., कुल 0.759 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.		
149/157	39	1ता4/0.253 है.प्र., 6/1/0.228 है., 6/2/0.025 है., 7,8,9,12,13,14/0.253 है.प्र., 15/1/0.228 है., 15/2/0.025 है., 16/1/0.228 है., 16/2/0.025 है., 17,18,19/0.253 है.प्र., 25/1/0.228 है., 25/2/0.025 है., 150/158	43	1/1/0.228 है., 1/2/0.025 है., 2/1/0.228 है., 2/2/0.025 है., 9ता12,19ता22/0.253 है.प्र. कुल 6.831 है. मय गै.मु. कृषि भूमि



(ख) प्रतिवादी सं. 3 सर्वजीत सिंह पुत्र स्व. श्री हरदेव सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़(राज.) के हक हिस्सा व कब्जाकाशत की कृषि भूमि :-

चक 11 ए.एम.पी. खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73

प.नं.	मु.नं.	कि.नं.
148/156	31	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
149/156	32	5/1/0.228 है., 5/2/0.025 है.
149/156	32	1/2/0.240 है., 2/0.253 है., 25/5/0.013 है.
150/156	33	10,11,20,21/0.253 है.प्र. कुल 2.024 है. मय गै.मु. कृषि भूमि

मुताबिक बंटवारा प्रतिवादीया सं. 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 39/32 जमाबन्दी सम्वत् 2070-73 में 0.759 है. कृषि भूमि के वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को ब.हि.ब. के खातेदार काशतकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 1 का नाम कलमजन किया जावे तथा इसी प्रकार प्रतिवादी सं. 2 व 3 के नाम से

तहसील संगरिया के चक 11 ए.एम.पी. के खाता सं. 113/73 जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में 8.855 है. कृषि भूमि में से वादी एवं प्रतिवादी सं. 2 को 6.831 है. कृषि भूमि के ब.हि.ब. खातेदार काश्तकार घोषित कर प्रतिवादी सं. 3 का हिस्सा कम किया जाकर उपरोक्तानुसार वादी का खाता अलग से कायम किया जाता है।

नोट :- यदि डिक्रीत वादी/प्रतिवादी हक आराजी बैंक रहन नहीं है तो अमल दरामद मुताबिक डिक्री किया जावे।

निज .....x.... निल .....x..... मुब्लिक .....x.....निल .....x.... बाबत् .....x....  
...निल.....x..... खर्चा मुकदमें के मयशुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक .....x.....को अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मोहर अदालत से आज दिनांक  
22/03/2023 को जारी किया जाता है।



(रमेश देव)  
सहायक कलेक्टर एवं  
उपखण्ड अधिकारी(राजस्व),  
संगरिया